

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:- 06.10.2021

थाना भोगनीपुर

दिनांक 05.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ0स0- 478/2021 धारा 41/411 भादवि0 में अभियुक्त अंकित उर्फ राजा को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

धारा 151 द0प्र0सं0

दिनांक 05.10.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा थाना भोगनीपुर 02, रसूलाबाद 08, डेरापुर 02, मंगलपुर 01, अकबरपुर 03, अभियुक्तों को धारा 151 दं0प्र0स0 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।